न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार

राजस्व अपील संख्या :– 13 / 2019

अपीलाण्टस	बनाम	रेस्पोडेंट्स
1. सुगनाई पुत्री लादूराम पत्नी भंवरलाल जाति जाट निवासी फडाको की ढाणी, देवनगर तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर		1. दुर्गाराम गोदपुत्र लादूराम जाति जाट निवासी देवनगर हरियाढाणा, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर
2. प्रेमदेवी पुत्री लादूराम पत्नी धाराराम जाति जाट निवासी बीटन, तहसील मेड़तासिटी जिला नागौर		2. सरपंच ग्राम पंचायत हरियाढाणा तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 70 दिनांक 05.03.2006 ग्राम पंचायत हरियाढाणा द्वारा स्वीकृत किया गया।

उपस्थित :– अपीलाण्ट्स की ओर से श्री नरपतसिंह सोलंकी एडवोकेट

रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की ओर से श्री रखाराम चौधरी एडवोकेट

रेस्पोडेण्ट संख्या 2 अनुपस्थित

निर्णय दिनांक :–09.12.2019

अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम देवनगर पटवार क्षेत्र हरियाढाणा तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 2757 रकबा 08 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 2758 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 2785 रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 2799 रकबा 21 बीघा 02 बिस्वा कुल खसरा 4 कुल रकबा 45 बीघा 05 बिस्वा भूमि के सहखातेदार अपीलाण्ट्स के पिता स्व. लादूराम पुत्र पूनाराम जाति जाट निवासी देवनगर हरियाढाणा थे। अपीलाण्ट्स के पूर्वज स्व. लादूराम का देहान्त हो चुका है। स्व. लादूराम के प्रथम श्रेणी के वारिसान सुगनाई, प्रेमदेवी पुत्रिया लादूराम, दुर्गाराम गोदपुत्र लादूराम है। स्व. लादूराम जी के अपीलाण्ट्स दो जायन्दा पुत्रिया तथा रेस्पोडेण्ट दुर्गाराम को गोद ले रखा है। स्व. लादूराम ने अपने जीवनकाल में किसी व्यक्ति को वादग्रस्त भूमि में स्थित अपना हिस्सा वसीयत नही किया है। स्व. लादूराम के फौत हो जाने पर कानूनन हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत लादूराम जी की खातेदारी भूमि उनकी दो पुत्रिया यानि अपीलाण्ट्स व गोदपुत्र रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के नाम हिस्से अनुसार इन्द्राज होनी चाहिये थी। उक्त भूमि में स्व. लादूराम के हक हिस्सा की भूमि पर उनकी दोनो पुत्रियों का हिस्सा कानूनन निहित हो चुका है अन्य किसी

व्यक्ति का हक व हिस्सा कानूनन रूप से नही बनते है एवं उक्त वादग्रस्त आराजी पर अपीलाण्ट्स का उक्त भूमि में सहखातेदार काश्तकार की हैसियत से कब्जा काश्त चला आ रहा है। स्व. लादूराम जी फौत हो जाने पर उनके खातेदारी की वादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण उनके सभी वारिसान के नाम स्वीकार किया जाना चाहिये था, जबकि अपीलाण्ट को छोडकर दुर्गाराम गोदपुत्र लादूराम कौम जाट के अकेले के नाम से नामान्तरकरण स्वीकार किया जाने का कोई कानूनी हक व अधिकार नही था। ग्राम पंचायत हरियाढाणा ने नामान्तरकरण जैर अपील स्वीकार करने से पूर्व अपीलाण्ट्स को सुनवाई का कोई नोटिस नही दिया गया तथा तमाम कार्यवाही बिना सुनवाई किये रेस्पोडेण्ट्स की सह पर बाले बाले की गई थी तथा नामान्तरकरण संख्या 70 को स्वीकृत करते समय वंशावली की जॉच सरपंच ग्राम पंचायत हरियाढाणा द्वारा नही की थी। हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरकरण के कॉलम संख्या 14 में लादूराम फौत के आगे गोदपुत्र रेस्पोडेण्ट अकेले का हवाला देते हुए भरा गया। जबकि मृतक लादूराम जी के सभी वारिसान दोनो पुत्रिया अपीलाण्ट प्रथम श्रेणी के वारिसान में मौजूद रहते हुए भी अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर नही देकर बाले–बाले नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया। नामान्तरकरण जैर अपील के जरिये सरपंच ग्राम पंचायत हरियाढाणा ने अपीलाण्ट्स को जायज अधिकारों से वंचित करने का प्रयास किया है। नामान्तरकरण जैर अपील के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि हल्का पटवारी ने नामान्तरकरण भरते समय मृतक के सभी वारिसान के नाम नामान्तरकरण नही भरकर अकेले दुर्गाराम गोदपुत्र लादूराम के नाम दर्ज किया गया तो इन परिस्थितियों में चाहिये था कि वे मृतक खातेदार लादूराम के वारिसान के बारे में जानकारी प्राप्त करते एवं उसके बाद म्यूटेशन की कार्यवाही करते जबकि कालान्तर में सरपंच ग्राम पंचायत हरियाढाणा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 89 दिनांक 20.12.2006 को स्वीकृत करते समय वादग्रस्त भूमि में स्व. बीरमराम के लाऔलाद (कुवारा) फौत होने पर द्वितीय श्रेणी के वारिसान के रूप में अपीलाण्ट्स का नाम नामान्तरकरण में इन्द्राज किया गया। अन्त में अपील पेश कर निवेदन किया कि अपील स्वीकार की जावे अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किया जावे तथा मृतक खातेदार स्व. लादूराम के प्रथम श्रेणी के वारिसान में दोनो पुत्रिया अपीलाण्ट्स के नाम नामान्तरकरण स्वीकार किया जाने का आदेश फरमावे।

अपील के साथ अपीलाण्ट्स की ओर से धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसके तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट के पिता लादूराम जी के सगे भाई बीरमराम के कुवारा फौत होने पर उनके द्वितीय श्रेणी के वारिसान के नाम नामान्तरकरण भरा गया जिसमें अपीलाण्ट का नाम इन्द्राज किया गया। जिस पर अपीलाण्ट्स के पिता फौत होने पर नामान्तरकरण की कार्यवाही में नाम इन्द्राज करने की

जानकारी नही हो सकी। वादग्रस्त आराजी पर ऋण प्राप्त करने के उदेश्य से राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त की तो राजस्व रेकर्ड में अपीलाण्ट्स के पुश्तैनी हिस्से से कम इन्द्राज होने की जानकारी मिलने पर अपीलाण्ट्स ने राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त करने की कार्यवाही की जिस पर दिनांक 13.08.2019 को नकले प्राप्त हुई। नामान्तरकरण संख्या 70 दिनांक 05.03.2006 को स्वीकृत करते समय हल्का पटवारी एवं ग्राम पंचायत द्वारा अपीलाण्ट् का नाम इन्द्राज नही किया गया, जबकि नामान्तरकरण संख्या 89 दिनांक 20. 12.2006 में अपीलाण्ट का नाम पुश्तैनी हिस्से अनुसार इन्द्राज कर दिया गया। अपीलाण्ट्स के पिता लादूराम के फौत होने पर लादूराम के वारिसान में दोनो पुत्रिया सुगनाई व प्रेमदेवी के नाम नामान्तरकरण में नही भरा गया एवं रेस्पोडेण्ट दुर्गाराम गोदपुत्र लादूराम अकेले के नाम से नामान्तरकरण को गलत दर्ज करवा दिया गया एवं अपीलाण्ट्स को किसी प्रकार की जानकारी नही दी गई। अपीलाण्ट अनपढ कृषक परिवार से है जो राजस्व रेकर्ड संबंधी किसी प्रकार की जानकारी नही रखती है। अपीलाण्ट्स को ऋण की आवश्यकता होने पर हल्का पटवारी से सम्पर्क कर जमाबन्दी नकल प्राप्त करने पर अपीलाण्ट्स हिस्से अनुसार भूमि इन्द्राज नही होने पर राजस्व रेकर्ड की नकले दिनांक 13.08.2019 को प्राप्त होने पर प्रथम बार जानकारी होने से यह अपील अन्दर म्याद पेश है। अन्त में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे तथा विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर म्याद सुमार किये जाने का आदेश फरमावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी, रेस्पोडेण्ट्स को नोटिस जारी किये गये, रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की ओर से श्री रखाराम चौधरी एड़वोकेट ने वकालतनामा पेश किया, रेस्पोडेण्ट संख्या 2 का नोटिस स्वयं से तामिल होकर प्राप्त हुआ, रेस्पोडेण्ट संख्या 2 की ओर से कोई उपस्थित नही होने के कारण उनकी अनुपस्थिति दर्ज की गयी।

रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के द्वारा धारा 5 म्याद अधिनियम का जवाब पेश नही किया गया, तारीख पेशी 25.11.2019 को 500/– कोस्ट पर जवाब पेश करने हेतु अवसर प्रदान किया गया और रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के अधिवक्ता ने दिनांक 26.11.2019 को जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण कोस्ट राशि जमा करवाने में सक्षम नही है इसलिए जवाब रेकर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 का जवाब रेकर्ड पर लिया गया। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की ओर से धारा 5 म्याद अधिनियम का जवाब मय प्रारम्भिक आपतियॉ पेश की जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट ने ग्राम पंचायत देवनगर द्वारा रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के नाम सन् 2006 के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 70 के विरूद्ध 13 वर्ष बाद उक्त अपील पेश की है जो अपील जाहिरा म्याद बाहर है धारा 3 लिमिटेशन एक्ट के अनुसार म्याद बाहर अपील की गुणावगुण पर सुनवाई का न्यायालय को अधिकार नही है अतः

अपीलाण्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील म्याद बाहर होने से केवल इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट ने धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में 13 वर्ष की देरी को माफ करने के लिये कोई संतोषजनक कारण बताया है। अतः बिना संतोषजनक कारण के इतनी अधिक देरी को माफ नही किया जा सकता है। अपीलाण्ट अपीलाधीन नामान्तरकरण की कार्यवाही ग्राम पंचायत के समक्ष पक्षकार नही थी। इस कारण अपीलाण्ट्स को नामान्तरकरण संख्या 70 के विरूद्ध अपील करने का अधिकार नही है। अपीलाण्ट ने लादूराम के उतराधिकारी होने का कोई सबूत पेश नही किया है। अतः बिना सबूत के अपीलाण्ट को लादूराम का उतराधिकारी नही माना जा सकता एवं बिना सबूत के उसे अपील करने का कोई कानूनी अधिकार नही है। लादूराम के अन्य खसरान की भूमि का नामान्तरकरण दिनांक 30.11.2006 को नामान्तरकरण संख्या 89 स्वीकृत किया गया था जिसमें अपीलाण्ट्स का नाम इन्द्राज किया गया था इससे भी यह साफ स्पष्ट हो चुका है अपीलाण्ट्स को दिनांक 30.11.2006 को लादूराम के सम्पूर्ण खसरान की जानकारी रही है। अपीलाण्ट्स ने प्रतिवादी के विरूद्ध एक वाद भी वादग्रस्त खसरान की भूमि बाबत् राजस्व न्यायालय में प्रस्तुत किया है। जिसमें भी बंटवाड़ा व स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है जिसमें गवाहान होकर तनकीयात कायम की जाकर वाद के हिस्से तय किये जायेगे। जिसके आधार पर हिस्से वादी व प्रतिवादी को प्राप्त हो सकेगे। उक्त तथ्यों के आधार पर अपीलाण्टस की अपील निरस्त किये जाने योग्य है। पैरावाईज जवाब निम्नानुसार पेश किया पद संख्या 1, 2, 3 प्रार्थना पत्र गलत होने से अस्वीकार है। अपीलाण्ट्स को लादूराम के उतराधिकारी होने का कोई सबूत पेश नही किया है व उसे नोटिस व सुनवाई का अवसर देने की कोई कार्यवाही आवश्यक नही रही है। अपीलाण्ट संख्या 1 ग्राम फडाको की ढाणी व अपीलाण्ट संख्या 2 बीटन तहसील मेड़ता में रहती है व रेस्पोडेण्ट देवनगर हरियाढाणा में निवास करता है तथा वह लादूराम के जीवनकाल से ही वादग्रस्त भूमि पर काबिज है इसके अलावा विवादित भूमि में अपीलाण्ट्स का आज दिन तक कोई कब्जा काश्त नही रहा है व अपीलाण्ट्स की स्वयं की साखे गोदनामा में सन् 2003 में डाली गयी थी व दिनांक 30.11.2006 को नामान्तरकरण संख्या 89 अपीलाण्ट्स के नाम से जारी हुआ था तब से उक्त सम्पूर्ण खातो की जानकारी अपीलाण्ट्स को व्यक्तिगत रूप से रही है। जिसके बाद अपीलाण्ट्स ने उक्त अपील म्याद बाहर प्रस्तुत की है जो कानूनन चलने योग्य नही होने से खारिज किये जाने योग्य है। अन्त में जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट का धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज करने का आदेश फरमावे।

पत्रावली का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। अपीलाण्टस की ओर से उनके अधिवक्ता ने बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराया और कथन किया गया कि

अपीलाण्ट्स मृतक लादूराम की जायन्दा पुत्रिया है तथा उनका लादूराम की भूमि में जन्म से अधिकार है, हिन्दू उतराधिकार अधिनियम 1956 की प्रथम सूची में वर्णित उतराधिकार की सूची के अनुसार पुत्रिया मृतक की प्रथम श्रेणी की उतराधिकारी है, अपीलाण्टस की अपील स्वीकार कर म्यूटेशन संख्या 70 को निरस्त फरमाया जावे, रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की ओर से उनके अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम में वर्णित तथ्यों को दोहराया और कथन किया कि लादूराम द्वारा दुर्गाराम को 07.10.2013 को गोद लिया गया था जो गोदनामा तहसील कार्यालय से पंजीबद्ध है और अपीलाण्ट संख्या 1 ग्राम फडाको की ढाणी तथा अपीलाण्ट संख्या 2 ग्राम बीटन तहसील मेड़ता में निवास करती है।

अपील के गुणावगुण पर निर्णय पारित करने से पूर्व धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र की सुनवाई किया जाना आवश्यक है। अपीलाण्ट्स की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि जब लादूराम का देहान्त हुआ तब लादूराम की लड़किया मौजूद थी तथा उनका लादूराम की भूमि में उनका हक हिस्सा है। जिसके समर्थन में ग्राम पंचायत हरियाढाणा द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 89 दिनांक 20.12.2006 पेश किया गया, जिसमें नामान्तरकरण की पुस्त पर मृतक लादूराम के विधिक वारिसान दर्शाये गये है जिसे उसी सरपंच द्वारा तस्दीक किया गया जिसके द्वारा नामान्तरकरण संख्या 70 स्वीकृत किया गया है। जिससे यह बिन्दु तय होता है कि अपीलाण्ट्स मृतक खातेदार लादूराम की विधिक वारिसान है और मृतक खातेदार के प्रथम श्रेणी के वारिसानों को सुनवाई का अवसर दिये बीना ग्राम पंचायत द्वारा म्यूटेशन संख्या 70 दिनांक 03.03.2006 स्वीकृत किया गया, म्यूटेशन स्वीकृत करने से पूर्व विधिक वारिसानों को नोटिस नही दिया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया एवं अध्ययनोपरान्त पाया कि उक्त नामान्तरकरण को स्वीकृत करने से पूर्व किसी भी प्रकार के विधिक वारिसानों की जॉच की जाकर उन्हे कोई नोटिस जारी नही किया गया है। इस कारण ऐसा नामान्तरकरण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अपील को डिलेकंडोन किया जाता है।

अपील का गुणावगुण का प्रश्न है, यह विवादित नही है कि मृतक लादूराम के अपीलाण्ट्स व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 वारिसान है एवं हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की प्रथम सूची में वर्णित सूची में वारिस है। ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 89 दिनांक 20.12.2006 ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत किया गया है जिसमें म्यूटेशन की पुस्त पर लादूराम के विधिक वारिसानों का नाम दर्ज है लेकिन नामान्तरकरण संख्या 70 स्वीकृत करते समय नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने से पूर्व किसी प्रकार की जॉच

वारिसान के संबंध में नही की गयी है। ग्राम पंचायत हरियाढाणा द्वारा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 का अवलोकन किये बीना केवल मृतक लादूराम के गोदपुत्र दुर्गाराम के नाम से म्यूटेशन स्वीकृत किया गया है जो बिल्कुल कानूनी प्रावधानों के विरूद्ध म्यूटेशन स्वीकृत किया है। इस कारण ग्राम पंचायत हरियाढाणा द्वारा स्वीकृत किया गया म्यूटेशन संख्या 70 बिल्कुल ही गलत रूप से बिना कोई कानूनी प्रावधानों की पालना के स्वीकृत किया गया है। बिना प्रावधान व नियम के पारित किये नामान्तरकरण को प्रभाव में रखे जाने का कोई औचित्य नही है। लादूराम की जायन्दा पुत्रीया सुगनाई, प्रेमदेवी है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर म्यूटेशन संख्या 70 दिनांक 05.03.2006 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है कि वो ग्राम देवनगर पटवार क्षैत्र हरियाढाणा तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 2757 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 2758 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 2785 रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 2799 रकबा 21 बीघा 02 बिस्वा कुल खसरा 4 कुल रकबा 45 बीघा 05 बिस्वा में मृतक सहखातेदार लादूराम के विधिक वारिसान उनकी दो पुत्रिया सुगनाई, प्रेमदेवी तथा एक गोदपुत्र दुर्गाराम के नाम म्यूटेशन स्वीकृत कर नये सिरे से नामान्तरकरण स्वीकृत किया जावे। आदेश की प्रतिलिपि तहसीलदार बिलाड़ा को पालना हेतु मय तहरीर के भेजी जाकर पालना रिपोर्ट मंगवायी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(रवीन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(रवीन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ravindra Kumar
Date: 2020.01.16 11:29:04 IST
Reason: SelfAttested
Location: